

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक –एफ-2 (क) / 9/08/ बी-3/ दो  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३० जुलाई, 2010

1. पुलिस महानिदेशक,  
मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. संचालक  
लोक अभियोजन संचालनालय,  
भोपाल ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त,  
मध्यप्रदेश ।
4. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश ।

विषय— जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये जाने बाबत ।

संदर्भ— इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक –एफ-2 (क) / 9/08/ बी-3/ दो भोपाल, दिनांक 11.10.2004

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये गये थे। प्रदेश में नये जिलों के गठन होने के पश्चात थाना मुख्यालय के दूसरे जिले में चले जाने से राजस्व जिले के कुछ गांव दीगर पुलिस जिले में चले गये हैं। इस कारण कुछ गांवों का राजस्व और पुलिस जिला पृथक–पृथक हो गया है।

2. उक्त विसंगति को दूर करने के लिये संदर्भित आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार अधिकार भी जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित किये जाते हैं—

- (i) जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा का निर्धारण ।
- (ii) नये जिले के गठन के पश्चात राजस्व जिले की सीमा में स्थित समस्त गांव, जिनके थाना मुख्यालय जिला विभाजन के कारण

दूसरे जिले में चले रहे हैं, को साजस्व जिले की सीमा के अन्दर  
के भासीय के घाटों में शामिल करने की कार्यवाही ।

(iii) राज्य सचिव द्वारा जिले के सीमाति आदेश जारी होने के  
पश्चात् उपरोक्त विधियों का प्रयोग करने के

3. उपरोक्तानुसार गठित विधियों का प्रयोग उपरान्त दण्ड  
प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खण्ड-एस  
संहिता की धारा 2, खण्ड-एस  
लिये जिला सचिवालयी को अधिकारीकरण करने के लिये उपरान्त उपरोक्त विधियों का प्रयोग करने के  
लिये पदन उप-सचिव भी घोषित किया जाता है ।

4. उपरोक्त अनुसार सीमाओं के नियरिण और अधिसूचना का प्रकाशन  
मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया जाये ।

### हृत्क्रम- ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार

*A* 28.7.10  
(अमिल कुमार)  
अपर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
गृह विभाग, मन्त्रालय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
राज्यादेश आदेशानुसार

मध्यप्रदेश शासन  
गृह मुलिसू विभाग

मंत्रालय

क्रमांक संख्या २५८१५/९९/बी-३/दो

शोपाल दिनांक ११-१०-०४

रुति,

- १। मुलिस महानिदेशक,  
मध्यप्रदेश शोपाल ।
- २। संचालक,  
लोक अभियोजन  
संचालनालय,  
शोपाल ।
- ३। समस्त संभागीय आयुक्त,  
मध्यप्रदेश ।
- ४। समस्त जिला कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।
- ५। समस्त मुलिस अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश प्रदेश ।

विषय:- जिले के भीतर धानों/ घोकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार  
जिला कलेक्टर समिति को दिये जाने वाला ।

जिले के भीतर स्वीकृत धानों/ घोकियों की सीमाओं का निर्धारण वर्तमान  
में गृह विभाग द्वारा किया जाता है । राज्य शासन द्वारा अब यह अधिकार  
जिला स्तर पर कलेक्टर, मुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की  
समिति को प्रत्यायोजित किये जाने का निर्षय लिया गया है ।

१२। दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३/१९७४ का स० २ की धारा-२ के खण्ड-स्त,  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत  
किया जाता है तथा उन्हें अधिसूचना जारी करने के लिए उम सचिव भी घोषित  
किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यशाल के नाम से तथा  
अप्रदेशान्तरार

१। मिलिन्द कानकर १

अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, गृह मुलिसू विभाग, शिवाजी संसालय